कर्नाटक सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय

नंबर 49, द्वितीय तल, साउथ ब्लाक,

खनिज भवन, रेसकोर्स रोड, बंगलौर

टेलीफोन नं. : 22389901 – 08, विस्तार : 311

फैक्स : 22389909

सं. डीडी(आईडी)/एसईजेड/एमआरसी/95/2009-10 दिनांक 26 अगस्त, 2009

परिपत्र

विषय : राज्य एसईजेड नीति, 2009 के प्रशासन के लिए प्रचालन दिशानिर्देश

संदर्भ : 7 जुलाई, 2009 को आयोजित निगरानी एवं समीक्षा समिति की पहली बैठक की कार्यवाही

मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में 7 जुलाई, 2009 को आयोजित अपनी पहली बैठक में निगरानी एवं समीक्षा समिति ने राज्य एसईजेड नीति, 2009 में प्रदान किए गए राजकोषीय लाभों के प्रशासन के लिए प्रचालन दिशानिर्देशों को मंजूरी प्रदान की है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्व की अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 2009 के अनुसार 50 प्रतिशत स्टांप शुल्क छूट प्रमाण पत्र, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2009 के अनुसार प्रवेश कर छूट प्रमाण पत्र तथा ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2009 के अनुसार विद्युत शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करेगा। सीईटीपी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक के समक्ष रखे जाएंगे। तथापि, एसईजेड विकासक को 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क छूट तथा वैट छूट / रिफंड प्रमाण पत्र तब जारी किए जाएंगे जब संबंधित विभागों की ओर से अधिसूचनाएं जारी हो जाएंगी।

सभी एसईजेड विकासकों / सह विकासकों तथा यूनिटों के तत्काल संदर्भ के लिए प्रचालन दिशानिर्देश संलग्न हैं।

हस्ता/-

औद्योगिक विकास आयुक्त तथा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, बंगलौर
राज्य एसईजेड नीति, 2009 के प्रशासन के लिए दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना :

कर्नाटक सरकार ने राज्य में एसईजेड के विकास को प्रोत्साहित करने तथा सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी आदेश संख्या सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009 के माध्यम से राज्य एसईजेड नीति, 2009 की घोषणा की है। केंद्रीय एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 5(5) के अनुसार राज्य एसईजेड नीति, 2009 में एसईजेड के विकासकों / सह विकासकों / यूनिटों को कुछ राजकोषीय लाभ प्रदान किए गए हैं। प्रोत्साहन पैकेजों के प्रशासन हेतु संबंधित अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए इन राजकोषीय लाभों के प्रशासन के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाने हैं।

यह नीति 28 फरवरी, 2009 से लागू होगी तथा अगले आदेशों तक प्रभावी बनी रहेगी।

2. परिभाषाएं

केंद्रीय एसईजेड अधिनियम, 2005 तथा एसईजेड नियमावली, 2006 में परिभाषित सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो राज्य एसईजेड नीति, 2009 में उनके अर्थ निर्धारित किए गए हैं।

3. प्रयोज्यता

राज्य एसईजेड नीति, 2009 में कर्नाटक राज्य में एसईजेड के अनुमोदन बोर्ड / एसएचएलसीसी द्वारा अनुमोदित सभी एसईजेड तथा भविष्य में अनुमोदित किए जाने वाले नए एसईजेड शामिल होंगे।

4 दिशानिर्देश

राजकोषीय लाभों के प्रशासन के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं :

4.1 डीटीए से सभी क्रय (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर) पर बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर तथा विशेष प्रवेश कर से छूट

एसईजेड के विकासकों / सह विकासकों तथा यूनिटों के लिए डीटीए से सभी क्रय (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर) पर बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर तथा विशेष प्रवेश कर से छूट निम्नानुसार उपलब्ध है :

(क) एसईजेड के विकासकों / सह विकासकों के लिए :

एसईजेड में संपूर्ण क्षेत्र के अधिकृत प्रचालनों के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय को छोड़कर सभी क्रय पर राज्य एवं स्थानीय निकाय के करों या लेवी या उपकर जैसे कि बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, विशेष प्रवेश कर से छूट प्राप्त होगी। यह छूट मूल्यवृद्धि के साथ या बगैर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

(ख) एसईजेड की यूनिटों के लिए :

प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित एसईजेड यूनिटों द्वारा अपनी स्थापना, प्रचालन या अनुरक्षण के लिए या विनिर्माण, व्यापार, उत्पादन, प्रसंस्करण, संयोजन, मरम्मत, रिकंडीशनिंग, रि-इंजीनियरिंग या पैकेजिंग के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय को छोड़कर सभी क्रय पर राज्य एवं स्थानीय निकाय के करों या लेवी या उपकर जैसे कि बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, विशेष प्रवेश कर से छूट प्राप्त होगी। यह छूट मूल्यवृद्धि के साथ या बगैर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं होगी, यदि बेचे जाने पर लागू राज्य कर लगाए जाते हैं।

(ग) प्रवेश कर छूट का दावा करने की प्रक्रिया :

एसईजेड के संबंधित विकासक / सह विकासक / यूनिट डीटीए से पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी क्रय पर प्रवेश कर छूट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ औद्योगिक विकास आयुक्त तथा वाणिज्य एवं उद्योग निदेशक के पास आवेदन करेगी :

- विकासक / सह विकासक के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया औपचारिक अनुमोदन पत्र तथा अधिसूचना और एसईजेड यूनिट के मामले में यूनिट अनुमोदन समिति से मंजूरी पत्र
- संगम ज्ञापन अनुच्छेद / साझेदारी विलेख
- परियोजना रिपोर्ट
- एसईजेड यूनिटों के लिए आईईएम लाइसेंस / पंजीकरण
- एचएलसी / एसएचएलसीसी अनुमोदन तथा सरकारी आदेश
- वाणिज्य कर विभाग का वैट पंजीकरण

- भूमि दस्तावेज
- केएसपीसीबी स्वीकृति – सीएफई / सीएफओ
- स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा का फार्म
- राज्य एसईजेड नीति, 2009 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का पालन करने का वचनपत्र

औद्योगिक विकास आयुक्त तथा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक को उपर्युक्त आवेदन की जांच करनी है तथा एसईजेड के विकासक / सह विकासक के लिए अनुबंध-1 के अनुसार तथा एसईजेड की यूनिटों के लिए अनुबंध-2 के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करना है।

(घ) प्रवेश कर से भिन्न राज्य करों की छूट / रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया :
संबंधित एसईजेड विकासक / सह विकासक / यूनिट डीटीए से पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी क्रय पर बिक्री कर तथा वैट की छूट / रिफंड पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ औद्योगिक विकास आयुक्त तथा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक के पास आवेदन करेगी :

- विकासक / सह विकासक के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया औपचारिक अनुमोदन पत्र तथा अधिसूचना और एसईजेड यूनिट के मामले में यूनिट अनुमोदन समिति से मंजूरी पत्र
- संगम ज्ञापन अनुच्छेद / साझेदारी विलेख
- परियोजना रिपोर्ट
- एसईजेड यूनिटों के लिए आईईएम लाइसेंस / पंजीकरण
- एचएलसी / एसएचएलसीसी अनुमोदन तथा सरकारी आदेश
- वाणिज्य कर विभाग का वैट पंजीकरण, केएसटी / सीएससी पंजीकरण तथा अन्य पंजीकरण
- भूमि दस्तावेज
- केएसपीसीबी स्वीकृति – सीएफई / सीएफओ
- स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा का फार्म
- राज्य एसईजेड नीति, 2009 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का पालन करने का वचनपत्र

औद्योगिक विकास आयुक्त तथा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक को उपर्युक्त आवेदन की जांच करनी है तथा एसईजेड के विकासक / सह विकासक के लिए अनुबंध-3 के अनुसार तथा एसईजेड की यूनिटों के लिए अनुबंध-4 के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करना है।

4.2 स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण प्रभारों से छूट

एसईजेड के विकासक / सह विकासक तथा यूनिटों को भूमि तथा ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से निम्नानुसार छूट प्राप्त है :

(क) एसईजेड के विकासकों / सह विकासकों के लिए :
भूमि तथा ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से छूट।

परंतु यह कि एसईजेड के विकास के लिए विकासक / सह विकासक तथा भू-स्वामियों के बीच और विकासक तथा सह विकासक के बीच भूमि के लेन-देन के संबंध में स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क से संबंधित छूट केवल पहले लेन-देन के लिए उपलब्ध होगी। केआईएडीजी द्वारा अधिग्रहीत एवं आवंटित भूमि के लिए स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क से छूट पट्टा विलेख / पट्टा सह बिक्री विलेख के निष्पादन के समय तथा निरपेक्ष बिक्री विलेखों के निष्पादन के समय भी उपलब्ध होगी।

तथापि, एसईजेड के विकासक / सह विकासक के लिए ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से छूट प्रत्येक ऋण / क्रेडिट दस्तावेज (मियादी ऋण तथा कार्यकारी पूंजी) प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होगी, जो एसईजेड के विकास हेतु लिए जाते हैं।

(ख) एसईजेड की यूनिटों के लिए :
प्रसंस्करण क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि / निर्मित स्थान तथा ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के संबंध में पट्टा विलेखों / उप पट्टा विलेखों के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से 50 प्रतिशत छूट।

परंतु यह कि एसईजेड के विकासक / सह विकासक तथा यूनिटों के बीच औद्योगिक भूमि / निर्मित स्थान के लेन-देन से संबंधित स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क के संबंध में छूट केवल पहले लेन-देन के लिए उपलब्ध होगी।

तथापि, एसईजेड की यूनिटों के लिए ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से छूट प्रत्येक प्रत्येक ऋण / क्रेडिट दस्तावेज (मियादी ऋण तथा कार्यकारी पूंजी) प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होगी, जो एसईजेड के विकास हेतु लिए जाते हैं।

(ग) स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क छूट प्रमाण पत्र का दावा करने की प्रक्रिया :

एसईजेड के संबंधित विकासक / सह विकासक / यूनिट स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ औद्योगिक विकास आयुक्त तथा वाणिज्य एवं उद्योग निदेशक के पास आवेदन करेगी :

- विकासक / सह विकासक के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया सैद्धांतिक / औपचारिक अनुमोदन पत्र तथा अधिसूचना और एसईजेड यूनिट के मामले में यूनिट अनुमोदन समिति से मंजूरी पत्र
- संगम ज्ञापन अनुच्छेद / साझेदारी विलेख
- परियोजना रिपोर्ट
- एसईजेड यूनिटों के लिए आईईएम लाइसेंस / पंजीकरण
- एचएलसी / एसएचएलसीसी अनुमोदन तथा सरकारी आदेश
- एसईजेड के विकासक और सह विकासक के मामले में राज्य एसईजेड नीति के खंड 3(2) में उल्लेख के अनुसार खरीदी गई / अधिग्रहीत की भूमि के दस्तावेज
- एसईजेड की यूनिटों के मामले में पट्टा / उप पट्टा विलेख
- एसईजेड / यूनिट के विकास के लिए ऋण दस्तावेज
- केएसपीसीबी स्वीकृति – सीएफई / सीएफओ, यदि कोई हो
- राज्य एसईजेड नीति, 2009 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का पालन करने का वचनपत्र

औद्योगिक विकास आयुक्त तथा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक को उपर्युक्त आवेदन की जांच करनी है तथा एसईजेड के विकासक / सह विकासक के लिए अनुबंध-5 के अनुसार तथा एसईजेड की यूनिटों के लिए अनुबंध-6 के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करना है।

4.3 विद्युत शुल्क या कर से छूट

एसईजेड के विकासक, सह विकासक तथा यूनिटों के लिए एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए स्वयं उत्पादित या खरीदी गई बिजली की बिक्री पर विद्‌युत शुल्क या कर से छूट निम्नानुसार उपलब्ध होगी :

(क) एसईजेड के विकासकों / सह विकासकों के लिए :
एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए स्वयं उत्पादित या खरीदी गई बिजली की बिक्री पर विद्‌युत शुल्क या कर से छूट।

(ख) एसईजेड की यूनिटों के लिए :
एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए स्वयं उत्पादित या खरीदी गई बिजली की बिक्री पर विद्‌युत शुल्क या कर से छूट।

(ग) विद्‌युत शुल्क छूट प्रमाण पत्र का दावा करने की प्रक्रिया :

एसईजेड के संबंधित विकासक / सह विकासक / यूनिट एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए स्वयं उत्पादित या खरीदी गई बिजली की बिक्री पर विद्‌युत शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ औद्‌योगिक विकास आयुक्त तथा वाणिज्य एवं उद्‌योग निदेशक के पास आवेदन करेगी :

- विकासक / सह विकासक के मामले में भारत सरकार द्‌वारा जारी किया गया औपचारिक अनुमोदन पत्र तथा अधिसूचना और एसईजेड यूनिट के मामले में यूनिट अनुमोदन समिति से मंजूरी पत्र
- संगम ज्ञापन अनुच्छेद / साझेदारी विलेख
- परियोजना रिपोर्ट
- एसईजेड यूनिटों के लिए आईईएम लाइसेंस / पंजीकरण
- एचएलसी / एसएचएलसीसी अनुमोदन तथा सरकारी आदेश
- भूमि दस्तावेज
- एस्कॉम विद्‌युत संस्वीकृति तथा सेवा पत्र
- कैप्टिव विद्‌युत उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति
- केएसपीसीबी स्वीकृति – सीएफई / सीएफओ
- स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा का फार्म

- **राज्य एसईजेड नीति, 2009 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का पालन करने का वचनपत्र**

औद्योगिक विकास आयुक्त तथा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक को उपर्युक्त आवेदन की जांच करनी है तथा एसईजेड के विकासक / सह विकासक / यूनिटों के लिए अनुबंध-7 के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करना है।

4.4 सामान्य निस्तारित शोधन संयंत्र को पूंजी सब्सिडी

सामान्य निस्तारित शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा वहन की गई लागत के 50 प्रतिशत तक एकबारगी पूंजी सब्सिडी प्रत्येक सीईटीपी / एसईजेड के लिए 100 लाख रुपए की सीलिंग के अधीन उपलब्ध है।

(क) सीईटीपी के लिए पूंजी सब्सिडी का दावा करने की प्रक्रिया :
केवल सीईटीपी के लिए, न कि सीवेज शोधन संयंत्र (एससीपी) के लिए एकबारगी पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है। सीईटीपी पर निवेश की गणना के लिए, सीईटीपी का अभिप्राय वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण तथा जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण दोनों तथा इसकी अचल परिसंपत्तियों से है।

एसईजेड के विकासक / सह विकासक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में औद्योगिक विकास आयुक्त तथा वाणिज्य एवं उद्योग निदेशक के पास आवेदन दाखिल करेगा :

- **अनुबंध-8 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन**
- **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**
- **साझेदारी विलेख / संगम अनुच्छेद ज्ञापन**
- **भारत सरकार द्वारा जारी किया गया औपचारिक अनुमोदन पत्र एवं अधिसूचना**
- **एचएलसी / एसएचएलसीसी अनुमोदन तथा सरकारी आदेश**
- **भूमि दस्तावेज**
- **केएसपीसीबी स्वीकृति – सीएफई / सीएफओ**
- **केएसपीसीबी से सीईटीपी योजना अनुमोदन**
- **ईटीपी के बीजक, बिल, वाउचर तथा रसीदें**

- अनुबंध-9 के अनुसार सीईटीपी के लिए सृजित की गई अचल परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण
- वित्तीय संस्था से मियादी ऋण संस्वीकृति पत्र की प्रति
- सीईटीपी में भवन पर किया गया निवेश जो अनुबंध-11 के अनुसार सनदी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए
- डीएफईई / एमओईएफ द्वारा जारी किया गया पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र (ईसीसी), जहां लागू हो
- केएसपीसीबी से सहमत शर्तों का अनुपालन प्रमाण पत्र
- अनुबंध-12 के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में घोषणा का फार्म
- राज्य एसईजेड नीति, 2009 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का पालन करने का वचनपत्र

आवेदन प्राप्त होने पर केएसपीसीबी से प्रतिनिधि के साथ औद्योगिक विकास आयुक्त तथा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक कंपनी / सीईटीपी का भौतिक सत्यापन करेंगे और सीईटीपी को सब्सिडी संस्वीकृत करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट के साथ निगरानी एवं समीक्षा समिति के समक्ष मामले को रखने की व्यवस्था करेंगे।

निगरानी एवं समीक्षा समिति द्वारा सब्सिडी के लिए मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद औद्योगिक विकास आयुक्त तथा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक अनुबंध-13 के अनुसार संस्वीकृति आदेश जारी करेंगे। संस्वीकृति आदेश के आधार पर संबंधित विकासक / सह विकासक अनुबंध-14 के अनुसार आवश्यक करार निष्पादित करेगा।

***

अनुबंध-1

एसईजेड के विकासक / सह विकासक को प्रवेश कर छूट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र
कर्नाटक सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

सं.

निदेशक का कार्यालय,
नंबर 49, खनिज भवन,
रेसकोर्स रोड,
बंगलौर – 560 001
दिनांक :

प्रमाण पत्र

विषय: मैसर्स .... को डीटीए से पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी क्रय पर प्रवेश कर छूट प्रमाण पत्र

संदर्भ: 1. जीओ नंबर सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009
2. एफडी अधिसूचना सं. एफडी/67/सीएसएल/2009; दिनांक 26 मई, 2009

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. .... गांव / तालुक में .... एकड़ भूमि में .... एसईजेड स्थापित करने / अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए मैसर्स .... (विकासक / सह विकासक) के परियोजना प्रस्ताव को .... को आयोजित एचएलसी / एसएचएलसीसी / एसएलएसडब्ल्यूसीसी / बीओए बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. एसईजेड, भारत सरकार के अनुमोदन बोर्ड ने .... को आयोजित अपनी बैठक में सं. .... दिनांक .... के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया है / सह विकासक का दर्जा प्रदान किया है तथा मंजूरी पत्र जारी किया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि विकासक / सह विकासक उपर्युक्त संदर्भ (1) और (2) में उल्लिखित सरकारी आदेशों के अनुसार .... से (एसईजेड अधिसूचना की तिथि या 28 फरवरी, 2009 से, जो भी बाद में हो) एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों में प्रयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर किसी अधिसूचित माल के प्रवेश पर प्रवेश कर छूट के लिए पात्र है।

4. **यह छूट मूल्यवृद्धि के साथ यह बगैर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं होगी।**

5. **एसईजेड के विकासक / सह विकासक को उपर्युक्त संदर्भ (1) में उल्लिखित सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।**

औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, बंगलौर

सेवा में,

1. **एसईजेड विकासक / सह विकासक**
2. **संबंधित स्थानीय वैट अधिकारी**
3. **कार्यालय प्रति**

अनुबंध-2

एसईजेड यूनिट को प्रवेश कर छूट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र
कर्नाटक सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

सं.

निदेशक का कार्यालय,
नंबर 49, खनिज भवन,
रेसकोर्स रोड,
बंगलौर – 560 001
दिनांक :

प्रमाण पत्र

विषय: मैसर्स .... को डीटीए से पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी क्रय पर प्रवेश कर छूट प्रमाण पत्र

संदर्भ: 1. जीओ नंबर सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009
2. एफडी अधिसूचना सं. एफडी/67/सीएसएल/2009; दिनांक 26 मई, 2009

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. .... गांव / तालुक में .... एकड़ भूमि में / .... वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में .... एसईजेड में .... स्थापित करने के लिए मैसर्स .... (एसईजेड यूनिट) के परियोजना प्रस्ताव को .... को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सं. .... दिनांक .... के माध्यम से मंजूरी पत्र जारी किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि .... एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित एसईजेड यूनिट उपर्युक्त संदर्भ (1) और (2) में उल्लिखित सरकारी आदेशों के अनुसार .... से (एसईजेड अधिसूचना की तिथि या 28 फरवरी, 2009 से, जो भी बाद में हो) अपनी स्थापना, प्रचालन या अनुरक्षण में प्रयोग के लिए अथवा निर्माण, व्यापार, उत्पादन, प्रसंस्करण, संयोजन, मरम्मत, रिकंडीशनिंग, रि-इंजीनियरिंग या पैकेजिंग में प्रयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर किसी अधिसूचित माल के प्रवेश पर प्रवेश कर छूट के लिए पात्र है।

3. **यह छूट मूल्यवृद्धि के साथ यह बगैर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं होगी, यदि बेचे जाने पर लागू राज्य कर लगाए जाते हैं।**

4. **एसईजेड यूनिट को उपर्युक्त संदर्भ (1) में उल्लिखित सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।**

औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, बंगलौर

सेवा में,

1. **एसईजेड यूनिट**
2. **संबंधित स्थानीय वैट अधिकारी**
3. **कार्यालय प्रति**

अनुबंध-3

एसईजेड के विकासक / सह विकासक को बिक्री कर एवं वैट छूट / रिफंड प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र

कर्नाटक सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

सं.

निदेशक का कार्यालय,
नंबर 49, खनिज भवन,
रेसकोर्स रोड,
बंगलौर – 560 001
दिनांक :

प्रमाण पत्र

विषय: मैसर्स .... को डीटीए से पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी क्रय पर बिक्री कर एवं वैट छूट / रिफंड प्रमाण पत्र

संदर्भ: 1. जीओ नंबर सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009
2. एफडी अधिसूचना सं. ....; दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. .... गांव / तालुक में .... एकड़ भूमि में .... एसईजेड स्थापित करने / अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए मैसर्स .... (विकासक / सह विकासक) के परियोजना प्रस्ताव को .... को आयोजित एचएलसी / एसएचएलसीसी / एसएलएसडब्ल्यूसीसी / बीओए बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. एसईजेड, भारत सरकार के अनुमोदन बोर्ड ने .... को आयोजित अपनी बैठक में सं. .... दिनांक .... के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया है / सह विकासक का दर्जा प्रदान किया है तथा मंजूरी पत्र जारी किया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि विकासक / सह विकासक उपर्युक्त संदर्भ (1) और (2) में उल्लिखित सरकारी आदेशों के अनुसार .... से (एसईजेड अधिसूचना की तिथि या 28 फरवरी, 2009 से, जो भी बाद में हो) एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों में प्रयोग के

लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी क्रय के लिए बिक्री कर तथा वैट छूट / रिफंड के लिए पात्र है।

4. यह छूट मूल्यवृद्धि के साथ यह बगैर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

5. एसईजेड के विकासक / सह विकासक को उपर्युक्त संदर्भ (1) में उल्लिखित सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।

औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, बंगलौर

सेवा में,

1. **एसईजेड विकासक / सह विकासक**
2. **संबंधित स्थानीय वैट अधिकारी**
3. **कार्यालय प्रति**

अनुबंध-4

एसईजेड यूनिट को बिक्री कर एवं वैट छूट / रिफंड प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र
कर्नाटक सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

सं.

निदेशक का कार्यालय,
नंबर 49, खनिज भवन,
रेसकोर्स रोड,
बंगलौर – 560 001
दिनांक :

प्रमाण पत्र

विषय: मैसर्स .... को डीटीए से पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी क्रय पर बिक्री कर एवं वैट छूट / रिफंड प्रमाण पत्र

संदर्भ: 1. जीओ नंबर सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009
2. एफडी अधिसूचना सं. ....; दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. .... गांव / तालुक में .... एकड़ भूमि में / .... वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में .... एसईजेड में .... स्थापित करने के लिए मैसर्स .... (एसईजेड यूनिट) के परियोजना प्रस्ताव को .... को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सं. .... दिनांक .... के माध्यम से मंजूरी पत्र जारी किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि .... एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित एसईजेड यूनिट उपर्युक्त संदर्भ (1) और (2) में उल्लिखित सरकारी आदेशों के अनुसार .... से (एसईजेड अधिसूचना की तिथि या 28 फरवरी, 2009 से, जो भी बाद में हो) अपनी स्थापना, प्रचालन या अनुरक्षण में प्रयोग के लिए अथवा निर्माण, व्यापार, उत्पादन, प्रसंस्करण, संयोजन, मरम्मत, रिकंडीशनिंग, रि-इंजीनियरिंग या पैकेजिंग में प्रयोग के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र या

एसईजेड क्षेत्र से पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय को छोड़कर सभी क्रय के लिए बिक्री कर एवं वैट से छूट / रिफंड के लिए पात्र है।

3. यह छूट मूल्यवृद्धि के साथ यह बगैर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं होगी, यदि बेचे जाने पर लागू राज्य कर लगाए जाते हैं।

4. एसईजेड यूनिट को उपर्युक्त संदर्भ (1) में उल्लिखित सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।

औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, बंगलौर

सेवा में,

1. **एसईजेड यूनिट**
2. **संबंधित स्थानीय वैट अधिकारी**
3. **कार्यालय प्रति**

अनुबंध-5

विकासक / सह विकासक को स्टांप शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र
कर्नाटक सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

सं.

निदेशक का कार्यालय,
नंबर 49, खनिज भवन,
रेसकोर्स रोड,
बंगलौर – 560 001
दिनांक :

प्रमाण पत्र

विषय: मैसर्स .... को भूमि या ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से छूट प्रमाण पत्र

संदर्भ: 1. जीओ नंबर सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009
2. आरडी अधिसूचना सं. ....; दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. .... गांव / तालुक में .... एकड़ भूमि में .... एसईजेड स्थापित करने / अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए मैसर्स .... (विकासक / सह विकासक) के परियोजना प्रस्ताव को .... को आयोजित एचएलसी / एसएचएलसीसी / एसएलएसडब्ल्यूसीसी / बीओए बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. एसईजेड, भारत सरकार के अनुमोदन बोर्ड ने .... को आयोजित अपनी बैठक में सं. .... दिनांक .... के माध्यम से सैद्धांतिक / औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया है / सह विकासक का दर्जा प्रदान किया है तथा मंजूरी पत्र जारी किया है।

3. विकासक / सह विकासक ने केएलआर अधिनियम की धारा 109 के तहत .... एसईजेड के विकास के लिए भू-स्वामियों से क्रमांक संख्या .... पर .... गांव, ... तालुक में .... एकड़ भूमि खरीदी है / खरीदने के लिए बिक्री करार किया है / संयुक्त विकास करार किया है / पट्टा करार निष्पादित किया है।

4. विकासक (मैसर्स ....) ने क्रम संख्या .... पर ……………. गांव, ... तालुक में .... एकड़ भूमि में सह विकासक द्वारा अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए .... को सह विकासक (मैसर्स ....) के साथ पट्टा करार निष्पादित किया है।

5. केआईएडीबी ने क्रम संख्या . . . . पर . . . . गांव, ... तालुक में . . . . एकड़ भूमि में .... के लिए एसईजेड की स्थापना के लिए …………………… एकड़ औद्योगिक भूमि अधिग्रहीत की है तथा विकासक / सह विकासक को आवंटित की है। केआईएडीबी ने .... को विकासक / सह विकासक के साथ पट्टा / पट्टा सह बिक्री / निरपेक्ष बिक्री विलेख निष्पादित किया है।

6. एसईजेड के विकासक / सह विकासक को ....पर एसईजेड की स्थापना के लिए .... द्वारा .... रुपए की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है।

7. प्रमाणित किया जाता है कि विकासक / सह विकासक क्रम संख्या 3/4/5 में यथाउल्लिखित भूमि के पंजीकरण के लिए या क्रम संख्या 6 में उल्लिखित ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उपर्युक्त संदर्भ (1) एवं (2) में उल्लिखित सरकारी आदेशों के अनुसार स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत / 50 प्रतिशत छूट के लिए पात्र है।

8. एसईजेड के विकासक / सह विकासक को उपर्युक्त संदर्भ (1) में उल्लिखित सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।

औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, बंगलौर

सेवा में,

1. एसईजेड विकासक / सह विकासक
2. संबंधित उप रजिस्ट्रार
3. कार्यालय प्रति

अनुबंध-6

एसईजेड की यूनिट को स्टांप शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र
कर्नाटक सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

सं.

निदेशक का कार्यालय,
नंबर 49, खनिज भवन,
रेसकोर्स रोड,
बंगलौर – 560 001
दिनांक :

प्रमाण पत्र

विषय: मैसर्स .... को औद्योगिक भूमि / निर्मित स्थान तथा ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के संबंध में पट्टा विलेखों / उप पट्टा विलेखों के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से 50 प्रतिशत छूट प्रमाण पत्र

संदर्भ: 1. जीओ नंबर सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009
2. आरडी अधिसूचना सं. ....; दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. .... गांव / तालुक में .... एकड़ भूमि में / .... वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में .... एसईजेड में .... स्थापित करने के लिए मैसर्स .... (एसईजेड यूनिट) के परियोजना प्रस्ताव को .... को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सं. .... दिनांक .... के माध्यम से मंजूरी पत्र जारी किया गया है।

2. विकासक / सह विकासक (मैसर्स ....) ने अपने .... एसईजेड में .. .. की स्थापना के लिए .... गांव / तालुक में .... एकड़ भूमि / .. .. वर्ग मीटर के निर्मित स्थान के लिए एसईजेड यूनिट के साथ पट्टा विलेख / उप पट्टा विलेख निष्पादित किया है।

3. एसईजेड यूनिट को .... पर .... एसईजेड में .... की स्थापना के लिए .... द्वारा .... रुपए की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड यूनिट क्रम संख्या 2 में यथाउल्लिखित औद्योगिक भूमि / निर्मित स्थान के संबंध में पट्टा विलेखों / उप पट्टा विलेखों के पंजीकरण के लिए या क्रम संख्या 3 में उल्लिखित ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उपर्युक्त संदर्भ (1) एवं (2) में उल्लिखित सरकारी आदेशों के अनुसार स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से 50 प्रतिशत छूट के लिए पात्र है।

5. एसईजेड के यूनिट को उपर्युक्त संदर्भ (1) में उल्लिखित सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।

औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, बंगलौर

सेवा में,

1. एसईजेड यूनिट
2. संबंधित उप रजिस्ट्रार
3. कार्यालय प्रति

अनुबंध-7

एसईजेड विकासक / सह विकासक / यूनिट को विद्युत शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र

कर्नाटक सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

सं.

निदेशक का कार्यालय,
नंबर 49, खनिज भवन,
रेसकोर्स रोड,
बंगलौर – 560 001
दिनांक :

प्रमाण पत्र

विषय: मैसर्स .... को विद्युत शुल्क या कर से छूट प्रमाण पत्र

संदर्भ: 1. जीओ नंबर सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009
2. ईडी अधिसूचना सं. ....; दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. .... गांव / तालुक में ....एकड़ भूमि में .... एसईजेड स्थापित करने / अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए मैसर्स .... (विकासक / सह विकासक) के परियोजना प्रस्ताव को .... को आयोजित एचएलसी / एसएचएलसीसी / एसएलएसडब्ल्यूसीसी / बीओए बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. एसईजेड, भारत सरकार के अनुमोदन बोर्ड ने .... को आयोजित अपनी बैठक में सं. .... दिनांक .... के माध्यम से सैद्धांतिक / औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया है / सह विकासक का दर्जा प्रदान किया है तथा मंजूरी पत्र जारी किया है।

3. .... को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में ....गांव / तालुक में .... एकड़ भूमि / .... वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में .... एसईजेड में .... स्थापित करने के लिए मैसर्स .... (एसईजेड यूनिट) के परियोजना

प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है तथा संख्या .... दिनांक .... के माध्यम से मंजूरी पत्र जारी किया गया है।

4. .... **एस्कॉम ने एसईजेड विकासक / सह विकासक / यूनिट को** .... **मेगावाट / केवीए विद्युत संस्वीकृत की है।**

5. प्रमाणित किया जाता है कि विकासक / सह विकासक / यूनिट उपर्युक्त संदर्भ (1) एवं (2) में उल्लिखित सरकारी आदेशों के अनुसार .... **से (विद्युत सर्विस / उत्पादन की तिथि या 28 फरवरी, 2009 जो भी बाद में घटित हो) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए स्वयं उत्पादित या खरीदी गई बिजली की बिक्री पर विद्युत कर या शुल्क से छूट के लिए पात्र है।**

6. एसईजेड विकासक / सह विकासक / यूनिट को उपर्युक्त संदर्भ (1) में उल्लिखित सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।

औद्योगिक विकास आयुक्त

सेवा में,

1. **एसईजेड विकासक / सह विकासक / यूनिट**
2. **संबंधित कार्यपालक अभियंता,** .... **एस्कॉम**

अनुबंध-8

सीईटीपी को पूंजी सब्सिडी संस्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र

1	एसईजेड का नाम एवं पता		
2	संपर्क व्यक्ति, फोन नंबर एवं फैक्स नंबर		
3	क्षेत्र		
4	सेक्टर		
5	एसईजेड अधिसूचना संख्या एवं तिथि		
6	एचएलसी / एसएचएलसीसी अनुमोदन तथा सरकारी आदेश		
7	उद्योग का गठन (पार्टनरशिप / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड)		
8	वित्तीय संस्था का नाम जिसने एसईजेड को मियादी ऋण संस्वीकृत किया है		
9	प्रचालन आरंभ होने की तिथि		
10	एसईजेड की परियोजना लागत	प्रस्तावित	निवेशित
	भूमि		
	भवन		
	प्लांट एवं मशीनरी		
	अन्य		
	कुल		
11	सीईटीपी की लागत		
	जल प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों तथा इसकी अचल परिसंपत्तियों की लागत		
	वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों तथा इसकी अचल परिसंपत्तियों की लागत		
	कुल		
12	केएसपीसीबी द्वारा जारी किया गया सीएफई तथा सीएफओ सं. एवं तिथियां		
13	डीएफईई / एमओइएफ द्वारा जारी की गई ईसीसी संख्या एवं तिथि, जहां लागू हो		
14	केएसपीसीबी द्वारा जारी की गई सहमति की शर्तों का अनुपालन प्रमाण पत्र		

उपर्युक्त सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :

(क) निर्धारित प्रपत्र में यूनिट द्वारा प्रमाणित अचल परिसंपत्तियों का विवरण (अनुबंध-9 के अनुसार)

(ख) वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा निर्धारित फार्म में जारी किया गया निवेश प्रमाण पत्र (अनुबंध-10 के अनुसार)

(ग) भवन पर निवेश के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में सनदी अभियंता प्रमाण पत्र (अनुबंध-11 के अनुसार)

(घ) स्थानीय रोजगार का ब्यौरा (अनुबंध-12 के अनुसार)

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं / हम एततद्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम

अनुबंध-9

सीईटीपी के लिए एसईजेड विकासक या सह विकासक द्‌वारा सृजित की गई अचल परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण

क्रम सं.	अचल परिसंपत्तियों का विवरण	किससे खरीदी गई है	आर्डर देने की तिथि	बीजक / बिल की तिथि	बिल / बीजक की राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान की विधि	वाउचर / बिल रसीद सं. एवं तिथि	अभ्युक्तियां
1	सीईटीपी के लिए भूमि	(1) (2)							
2	सीईटीपी के लिए भवन	(1) (2)							
3	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	(1) (2) (3)							
4	जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	(1) (2) (3)							
5	परिवहन								
6	उत्थापन								
7	विद्‌युतीकरण								
8	अन्य अचल परिसंपत्तियां								
	कुल								

(टिप्पणी : कृपया परिसंपत्तियों की प्रत्येक मद के लिए बिल, वाउचर एवं रसीद के साथ अलग विवरण प्रस्तुत करें)

विकासक / सह विकासक के हस्ताक्षर

अनुबंध-10

सीईटीपी के लिए बैंक / वित्तीय संस्थाओं से अचल निवेश प्रमाण पत्र

मैसर्स .... (एसईजेड का लोकेशन) .... को पत्र सं. .... दिनांक ... . के तहत संस्वीकृत .... रुपए की ऋण राशि के तहत आज निम्नानुसार राशि संवितरित की गई है :

(क)	**संस्वीकृत मियादी ऋण**	**तिथि**	**राशि रुपए में**
(ख)	**संवितरित ऋण राशि**	**तिथि**	**राशि रुपए में**
	1.		
	2.		
	3.		
	आज तक संवितरित कुल राशि		
(ग)	**अचल परिसंपत्तियों में निवेश का मूल्य**	**परियोजना मूल्यांकन के अनुसार (रुपए)**	**वास्तविक निवेश (अवधि का उल्लेख करें) (रुपए)**
	1. भूमि **केवल सीईटीपी के लिए**		
	2. भवन **केवल सीईटीपी के लिए**		
	3. प्लांट एवं मशीनरी **केवल सीईटीपी के लिए**		
	4. अन्य परिसंपत्तियां (कृपया निर्दिष्ट करें) **केवल सीईटीपी के लिए**		

हम प्रमाणित करते हैं कि मियादी ऋण की किस्तें जारी करने के लिए एसईजेड के विकासक / सह विकासक द्वारा उपलब्ध कराए गए बिलों एवं वाउचरों के सत्यापन के बाद तथा निरीक्षण अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के आधार पर यह निवेश प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिन मदों के लिए सब्सिडी ग्राह्य नहीं है उनको उपर्युक्त निवेश प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किया गया है।

संगत बिल एवं वाउचर हमारे कब्जे में हैं जिन पर निवेश प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा हम ऋण देयता के निर्वहन से पूर्व किसी सत्यापन के लिए अपेक्षित होने पर उसे उपलब्ध कराने के लिए सहमत हैं।

<u>टिप्पणी</u> :

1. **कृपया उस अवधि का उल्लेख करें जिसके दौरान भूमि, भवन तथा प्लांट एवं मशीनरी पर निवेश किया गया है।**
2. **कृपया समतुल्य मूल्य के साथ सीईटीपी की मशीनरी की सूची प्रस्तुत करें।**
3. **पुरानी मशीनों / भवन पर किया गया निवेश शामिल नहीं होना चाहिए।**

शाखा प्रबंधक / प्रबंधक / एजेंट के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :

(संस्था का नाम)

मुहर

अनुबंध-11

सनदी अभियंता प्रमाण पत्र

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि .... पर उनके प्रस्तावित एसईजेड के लिए .... मैसर्स ....के लिए सीईटीपी भवन एवं सिविल कार्य के .... रुपए .... रुपए की अनुमानित लागत के विरूद्ध एसईजेड के विकासक / सह विकासक में अब तक निम्नानुसार सिविल कार्य पूरा किया है :

1	**अनुमान के अनुसार पूरे किए सिविल कार्य का मूल्य** **केवल सीईटीपी के लिए**	**रुपए**
2	**भवन ठेकेदार (सिविल एवं संरचना) को भुगतान के लिए प्रमाणित राशि** **केवल सीईटीपी के लिए**	**रुपए**
3	**अवधारण मनी (सिविल ठेकेदार से)** **केवल सीईटीपी के लिए**	**रुपए**
4	**भवन के पूरे किए गए अंश के लिए प्रयुक्त की सामग्रियों का मूल्य** **केवल सीईटीपी के लिए**	**रुपए**

उपर्युक्त प्रमाणित पूर्ण किए गए भवन के मूल्य में अतिथि गृह तथा कारखाना स्थल में आवासीय भवन के लिए निर्मित क्षेत्र शामिल नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भवन का निर्मित क्षेत्र एसईजेड के सीईटीपी के लिए आवश्यक है।

इस प्रमाण पत्र के साथ विस्तृत अनुमान पत्रक संलग्न है।

हस्ताक्षर एवं पूरा पता

स्थान :
दिनांक :

मुहर

अनुबंध-12

स्थानीय व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में घोषणा का फार्म

1	एसईजेड का नाम	मैसर्स			
2	पता : गांव / कस्बा / तालुक / जिला	कार्यालय		कारखाना	
3	एसईजेड अधिसूचना संख्या एवं तिथि				
4	स्थाई रोजगार का ब्यौरा (दिहाड़ी मजदूरों एवं बदली मजदूरों को छोड़कर)				
	मद	ग्रुप सी और डी	ग्रुप बी	ग्रुप ए	कुल
(क)	कर्मचारियों की कुल संख्या				
(ख)	उनमें स्थानीय व्यक्तियों की संख्या				
(ग)	उन कर्मचारियों में स्थानीय व्यक्तियों का प्रतिशत				

5. मैं / हम समझता हूँ / समझते हैं कि एसईजेड में समग्र रोजगार में स्थानीय व्यक्तियों का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए (इसमें सभी श्रेणियां शामिल हैं)।

मैं / हम इसके द्वारा सब्सिडी के संवितरण से पूर्व कमी को दूर करने का वचन देता हूँ / देते हैं।

6. मैं / हम यह भी समझता हूँ / समझते हैं कि कर्नाटक सरकार से राजकोषीय लाभ प्राप्त करने के तहत मेरे एसईजेड की पात्रता राज्य एसईजेड नीति, 2009 की शर्तों एवं नियमों के अनुसार न्यूनतम स्थानीय रोजगार की शर्त की मेरे द्वारा पूर्ति पर निर्भर है।

स्थान :
दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

"मेरे द्वारा सत्यापित"

आईडी आयुक्त

1. स्थानीय व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित है जिसने कर्नाटक राज्य में कम से कम 15 साल तक निवास किया है।
2. इस घोषणा पर एसईजेड द्वारा ऐसा करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

ग्रुप ए – कार्यपालक / शीर्ष स्तर

ग्रुप बी – प्रबंधकीय
ग्रुप सी – पर्यवेक्षी / कुशल
ग्रुप डी – अकुशल / अर्धकुशल

अनुबंध-13

कर्नाटक सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

संख्या .... का कार्यालय

दिनांक : ....

सामान्य निस्सारी शोधन संयंत्र (सीईटीपी) के लिए पूंजी सब्सिडी संस्वीकृति आदेश

विषय: .... में सीईटीपी स्थापित करने के लिए मैसर्स .... को 50 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी की संस्वीकृति

संदर्भ: 1. ....को प्राप्त निवेश सब्सिडी के लिए आपका आवेदन

2. जीओ नंबर सीआई/114/एसपीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009

आपको यह सूचित करते हुए हमें प्रसन्न्ता हो रही है कि सीईटीपी के लिए पूंजी सब्सिडी संस्वीकृत करने के लिए निगरानी एवं समीक्षा समिति ने .... को आयोजित अपनी बैठक में सीईटीपी तथा इसकी अचल परिसंपत्तियों पर आप द्वारा किए गए निवेश के आधार पर .... में आपके एसईजेड को ....रुपए .... रुपए मात्र की सब्सिडी संस्वीकृत की है। समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निवेश स्वीकार किया है :

(क)	सिविल कार्य / भवन	रुपए
(ख)	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	रुपए
(ग)	जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	रुपए
(घ)	अन्य	रुपए
	कुल	रुपए

तदनुसार, सीईटीपी के लिए राज्य एसईजेड नीति, 2009 के तहत पूंजी सब्सिडी जिसके लिए आप पात्र हैं, की राशि उपर्युक्त निवेश के 50 प्रतिशत पर .... रुपए .... रुपए मात्र निर्धारित की जाती है।

आपको एक करार निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप इस संस्वीकृति आदेश के साथ संलग्न है। मूल करार 100 रुपए के स्टांप पेपर पर होना चाहिए। करार एसईजेड कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा या साझेदारी प्रतिष्ठान के मामले में सभी साझेदारों द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत एक या अधिक निदेशकों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि साझेदारों में से कोई एक सामान्य पावर ऑफ अटार्नी का धारक है, तो वह शेष साझेदारों की ओर करार निष्पादित कर सकता है और पावर ऑफ अटार्नी की प्रमाणित सत्य प्रति प्रस्तुत कर सकता है। करार का निष्पादन कंपनी की सामान्य मुहर के तहत होना

चाहिए। विलोपन, यदि कोई हो, को समुचित रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। करार पत्र में कुछ भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए।

उपर्युक्त करार एसईजेड, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, बंगलौर के प्रभारी अधिकारी की मौजूदगी में निष्पादित किया जाना चाहिए।

इस पूंजी सब्सिडी की संस्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी आवश्यक तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति, झूठी सूचना प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है या यदि विकासक / सह विकासक एसईजेड से बाहर निकल जाता है, तो राज्य सरकार को ब्याज जो राज्य सरकार प्रभारित कर सकती है, के साथ .... रुपए की संस्वीकृत पूंजी सब्सिडी के रिफंड का दावा करने का अधिकार होगा।

अनुदान ग्राही यूनिट द्वारा यह अनुदान प्राप्त किए जाने के बाद एक साल की अवधि के अंदर संपूर्ण एसईजेड या किसी भाग का लोकेशन परिवर्तित नहीं करेगा या अपने कुल अचल पूंजी निवेश के किसी भाग का निस्तारण या कोई संविदाकरण नहीं करेगा।

यदि पूंजी सब्सिडी संस्वीकृत की जा रही है, तो किसी अगली तिथि पर वस्तुत: देय न पाए जाने पर अनुदान ग्राही सरकार को ऐसा अंश या संपूर्ण राशि रिफंड करेगा जो उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि अनुदान ग्राही ऐसी राशि को लौटाने में असमर्थ होगा, तो यह भूमि राजस्व के एरियर के रूप में वसूल की जाएगी।

इसमें संस्वीकृत पूंजी सब्सिडी सहायता अनुदान की प्रकृति की है तथा इसे कर्नाटक सरकार के साथ संविदा के रूप में नहीं लिया जाएगा। अनुदान ग्राही कर्नाटक सरकार द्वारा सब्सिडी की निर्मुक्ति के मामले में संविदा की सहायता के अपने अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं करेगा, जो सब्सिडी राशि ऐसे अनुपात में एवं किस्तों में जिसे सरकार विनियमित कर सकती है, उस समय जारी करेगी जब अनुदान ग्राही इसके लिए पात्र होगा।

आईडी आयुक्त

अनुबंध-14

सीईटीपी पूंजी सब्सिडी के लिए निष्पादित किए जाने वाले वचनपत्र का प्रपत्र

वचनपत्र

यह वचनपत्र आज दिनांक .... को .... द्वारा निष्पादित किया गया है जो मैसर्स .... के नाम में तथा शैली में ....पर .... के लिए एसईजेड का व्यवसाय चला रहा है, इसमें इसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल के पक्ष में एक भाग का अनुदान ग्राही कहा गया है, जिसका प्रतिनिधित्व उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक ने किया है जिसे इसमें इसके बाद अन्य भाग का सरकार कहा गया है।

जबकि समीक्षा एवं निगरानी समिति ने अनुदान ग्राही को उसके एसईजेड के प्रयोजनार्थ राज्य एसईजेड नीति, 2009 की कर्नाटक सरकार की योजना के तहत आदेश सं. . . . . . दिनांक . . . . . के माध्यम से . . . . . रुपए (................. रूपए मात्र) की सीईटीपी पूंजी सब्सिडी संस्वीकृत की है।

औद्योगिक विकास आयुक्त तथा वाणिज्य उद्योग निदेशक, बंगलौर के आदेश सं. . . . . . दिनांक . . . . . के अनुसार . . . . . रुपए (. . . . . रुपए मात्र) के अनुदान को ध्यान में रखते हुए अनुदान ग्राही इसके द्वारा इसकी प्राप्ति स्वीकार करता है, अनुदान ग्राही निम्नानुसार सहमत है और प्रसंविदा करता है :

(1) **यदि राज्य सरकार / संबंधित वित्तीय संस्था संतुष्ट है कि पूंजी सब्सिडी आवश्यक तथ्य की गलत प्रस्तुति, पूर्ण सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के बाद झूठी सूचना प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है, तो राज्य सरकार / संबंधित वित्तीय संस्था को ऐसे ब्याज जो राज्य सरकार / संबंधित वित्तीय संस्था प्रभारित कर सकती है, के साथ अनुदान ग्राही को भुगतान की गई . . . . . रुपए (. . . . . रुपए मात्र) की सब्सिडी / अनुदान के रिफंड का दावा करने का पूर्ण अधिकार होगा।**

(2) **यदि पूंजी सब्सिडी संस्वीकृत की जा रही है, जो किसी अगली तिथि पर वस्तुत: देय नहीं पाई जाती है तो अनुदान ग्राही सरकार को ऐसा अंश या संपूर्ण राशि रिफंड करेगा जो उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि अनुदान ग्राही ऐसी राशि को लौटाने में असमर्थ होगा, तो यह भूमि राजस्व के एरियर के रूप में वसूल की जाएगी।**

(3) **इस अनुदान को कर्नाटक सरकार के साथ संविदा के रूप में नहीं लिया जाएगा तथा केवल सहायता अनुदान की प्रकृति का समझा जाएगा और भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान या विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधान या किसी अन्य सापेक्षिक सांविधिक अधिनियम / प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे।**

(4) **यह कि अनुदान ग्राही सीधे या अपने अटार्नी के माध्यम से बारी के बगैर पूंजी सब्सिडी कीराशि जारी करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा और यह कि निधियों की उपलब्धता के**

आधार पर आवधिक निर्मुक्ति के मामले में सरकार का निर्णय अंतिम होगा तथा अनुदान ग्राही पर बाध्यकारी होगा।

(5) अनुदान ग्राही राज्य एसईजेड नीति, 2009 के अनुसरण स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने का वचन देगा। यदि अनुदान ग्राही ऐसा करने में असफल होगा, तो वह सरकार को पूंजी सब्सिडी की राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा।

अनुसूची

(क)	सिविल कार्य / भवन	रुपए
(ख)	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	रुपए
(ग)	जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	रुपए
(घ)	अन्य	रुपए

इसके साक्ष्य में अनुदान ग्राही ने ऊपर उल्लेख के अनुसार . . . . . को अपने हस्ताक्षर किए हैं।

गवाह :

अनुदान ग्राही के हस्ताक्षर

यहां कंपनी की सामान्य मुहर लगाई जाएगी

एसईजेड विकासक / सह विकासक / यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचनपत्र का प्रपत्र

मैसर्स . . . . द्वारा वचनपत्र

यह दिनांक . . . . को मैसर्स . . . . द्वारा बंगलौर में औद्योगिक विकास आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, कर्नाटक सरकार के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है, कि

(1) **हम इसके द्वारा वचन देते हैं कि हम केंद्रीय एसईजेड अधिनियम, 2005 तथा नियमावली, 2006 में निर्धारित किए गए सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे।**

(2) **हम इसके द्वारा वचन देते हैं कि हम सरकार आदेश सं. सीआई/114/एससीआई/2007; दिनांक 28 फरवरी, 2009 के माध्यम से घोषित राज्य एसईजेड नीति, 2009 में निर्धारित सभी नियमों, विनियमों, शर्तों एवं निबंधनों का पालन करेंगे।**

(3) **हम अपनी एसईजेड परियोजना के संबंध में कर्नाटक सरकार के लिए अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।**

स्थान :
दिनांक :

कृते मैसर्स . . . .
नाम
पदनाम